मिस शैंदा हसन

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

25 अप्रैल, 1990

[कुलदिप सिंह और पी.बी. सावंत, जेजे.]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973: धारा 31 (11) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान-प्राचार्य की नियुक्ति-को रोकना। विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन-चाहे वह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन हो।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 30 (1)। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम संस्थान-प्राचार्य की नियुक्ति-योग्यता "उर्दू का कार्य ज्ञान" - संस्थान के उद्देश्य के अनुरूप होना।

सेवा कानून-नियुक्ति-योग्यता-छूट की शक्ति प्रदान करने वाले वैधानिक नियमों की अनुपस्थिति-विज्ञापन से यह संकेत मिलना चाहिए कि चयन समिति के पास छूट की शक्ति है।

अपीलार्थी को उसके पक्ष में अनुभव की योग्यता में ढील देकर चुना गया लेकिन विश्वविद्यालय ने नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31 (11) के तहत और प्रबंधन समिति को पद का पुनः विज्ञापन करने का निर्देश दिया।

अपीलार्थी ने विश्वविद्यालय के फैसले को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देते हुए कहा कि कॉलेज एक अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते अधिनियम के तहत

विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन है और अनुमोदन को रोकने का कोई औचित्य नहीं है।

उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 30 के आधार पर हमले को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम के प्रावधान नियामक थे, लेकिन यह माना कि चयन समिति ने योग्यता में ढील देना उचित नहीं ठहराया और कहा कि उर्दू का कार्य ज्ञान रखने वाली योग्यता अन्यायपूर्ण थी। इसलिए विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पेश की।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय, अभिनिर्धारित किया कि :

1. की शक्ति प्रदान करने वाले वैधानिक नियमों के अभाव में छूट, विज्ञापन से यह संकेत मिलना चाहिए कि चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकरण के पास योग्यता में ढील देने की शक्ति है। उच्च न्यायालय ने चयन समिति द्वारा दी गई छूट को मनमाना माना है। [702 बी]

2. कॉलेज एक मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण, निर्धारित करता है। प्रधानाचार्य के पद के लिए उर्दू के कामकाजी ज्ञान के अधिकार की योग्यता, संस्थान की स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप है। उक्त योग्यता अनुचित नहीं है। [702 बी]

[न्याय के हित में और तथ्यों और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मामले में, लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके कुलपति को कॉलेज के प्राचार्य के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति के लिए आवश्यक मंजूरी देने का निर्देश दिया जाता है, जो अपीलार्थी है। न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप, जिस तारीख से वह उक्त पद धारण कर रही है, और अपीलार्थी वेतन, भत्ते और अन्य सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा, जिनके लिए उक्त महाविद्यालय का एक नियमित प्राचार्य हकदार होता।] [702 जी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1135/1981।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 1974 की सिविल रिट याचिका संख्या 1096 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 15.12.1980 से।

आर.एन. त्रिवेदी, आर. रामचंद्रन और सुश्री साधना रामचंद्रन (एन.पी.) अपीलार्थी के लिए।

अनिल देव सिंह, गोपाल सुब्रमण्यम, सुश्री एस. दीक्षित, एस.एस. हुसैन उत्तरदाताओं की ओर से, एस.ए. सैयद, आर.एस.एम. वर्मा और शकील अहमद सैयद।

न्यायालय का निर्णय कुलदिप सिंह, जे. द्वारा दिया गया था।

करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज, लखनऊ (जिसे इसके बाद 'कॉलेज' कहा जाता है) का प्रबंधन अंजू मान मुस्लिमत-ए-हिंद द्वारा किया जा रहा है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। समाज का घोषित उद्देश्य है - भारत की महिलाओं के बीच शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाना। कर्नल लेज को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा धार्मिक के रूप में मान्यता दी गई है। संघ के अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ के भीतर अल्पसंख्यक संस्थान भारत का राज्य और लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध सहयोगी है।

महाविद्यालय के डिग्री अनुभाग में महिला प्राचार्य का पद था। 5 अप्रैल, 1974 को निम्नलिखित योग्यताओं/आवश्यकताओं का संकेत देते हुए विज्ञापन दिया गयाः

(1) किसी भी विषय में प्रथम या अच्छी द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री संस्थान में पढ़ाया जाने वाला विषय;

(2) डिग्री कक्षाओं को पढ़ाने का कम से कम पाँच साल का अनुभव प्रशासनिक अनुभव भी;

(3) उर्दू का कार्य ज्ञान होना चाहिए;

(4) महाविद्यालय परिसर में रहने के लिए इच्छुक।

विज्ञापन के जवाब में अपीलार्थी अन्य लोगों के साथ पद के लिए आवेदन किया। अपीलार्थी पाँच साल के अनुभव की योग्यता को पूरा नहीं करता था। वह अकेले साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुईं और चयन समिति ने उनके पक्ष में अनुभव की योग्यता में ढील दी और उनका चयन किया। इसके बाद प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) की धारा 31 (11) के तहत आवश्यकतानुसार अपीलकर्ता की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय से मंजूरी मांगी। विश्वविद्यालय ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया और प्रबंधन को इस पद का पुनः विज्ञापन करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से विश्वविद्यालय के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी कि कॉलेज एक अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन है। यह भी तर्क दिया गया कि अनुमोदन को रोकने का कोई आधार या औचित्य नहीं था।

उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 30 के आधार पर हमले को खारिज कर दिया भारत के संविधान में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम के प्रावधान विनियामक हैं और मुख्य रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षा की एकरूपता, दक्षता और मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से हैं। गुण-दोष पर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चयन समिति ने विज्ञापन में अपने लिए उस अधिकार को आरक्षित किए बिना योग्यता में ढील देना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि "उर्दू का कार्य ज्ञान रखने" की योग्यता अनुचित थी। उपरोक्त निष्कर्षों पर रिट

याचिका खारिज कर दी गई थी। यह भारत संविधान के अनुच्छेद 136 के माध्यम से अपीलार्थी हमारे सामने कैसा है।

उच्च न्यायालय ने द्वारा दी गई छूट को सही ठहराया है। चयन समिति मनमाना होगी। वैधानिक नियमों के अभाव में विश्राम की शक्ति प्रदान करते हुए, विज्ञापन को यह इंगित करना चाहिए कि चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकरण के पास छूट देने की शक्ति है।

योग्यताएँ। "उर्दू के कार्य ज्ञान" के बारे में हम नहीं जानते हैं। उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि उक्त योग्यता अन्यायपूर्ण है। कॉलेज एक मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान है जो उक्त योग्यता निर्धारित करता है। प्रधानाचार्य के पद के लिए अनुदान, संस्था की स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप है।

इस मामले में हम जो विचार ले रहे हैं, वह आवश्यक नहीं है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के आधार पर तर्क में जाएँ।

हमने 23 फरवरी, 1990 को इस मामले में दलीलें सुनीं और निम्नलिखित आदेश के साथ मामले को स्थगित कर दिया गयाः

> "पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय के परिणामस्वरूप अपीलार्थी सुश्री शैंदा हसन का आदेश जारी है। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज, लखनऊ 1974 से। में प्राचार्य के रूप में कार्य करें। संस्था की सेवा करने के लिए 16 साल से अधिक समय तक उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर करना अन्याय होगा। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को इस पर पुनर्विचार करने दें पूरा मामला सहानुभूतिपूर्वक"।

यह मामला 20 अप्रैल, 1990 को चैंबर्स में उठाया गया था जब श्रीमती शोभा दीक्षित ने निर्देश प्राप्त करने के बाद राज्य के लिए वकील सीखा। विश्वविद्यालय ने हमसे

सहमति व्यक्त की कि अपीलार्थी को जाने के लिए कहा गया। सोलह साल बाद की नौकरी उसके साथ अन्याय करना होगा।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में हम लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके उपाध्यक्ष को निर्देश देते हैं। कुलाधिपति की नियुक्ति के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज, लक के प्राचार्य के रूप में अपीलार्थी अब, जिस तारीख से वह उक्त पद पर हैं, उस तारीख से प्रभावी हो रही हैं। हम आगे निर्देश दें कि अपीलार्थी वेतन, भत्तों का हकदार होगा और अन्य सभी परिणामी लाभ जिनके लिए उक्त का एक नियमित मूलधन कॉलेज का अधिकार रहा होगा और है। हम अपील का निपटारा करते हैं। उपरोक्त दिशाएँ। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

टी.एन.ए. याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।